



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,  
Regional Office, Western Region,  
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"  
Kendriya Paryavaran Bhavan  
लिंक रोड नं०-३, Link Road No. 3  
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,  
भोपाल, म०प्र०/Bhopal-462016 (M.P.)  
फोन- 2466525, 2463102, 2465496  
तार /Telegram: CENTFOREST  
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPB082/2006-BHO/ 3690

18-08-2007

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)  
मध्यप्रदेश शासन,  
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: नीमच जिले में 400 क०व्ही० आर०ए०पी०पी०-कांकरोली विद्युत लाईन के निर्माणार्थ 3.7628 हे० वनभूमि पावर ग्रिड कार्पोरेशन कोटा को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-एमपीबी 082/2006-बीएचओ/2135 दिनांक 18/12/2006  
2. मु०व०सं०(भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, म०प्र० का पत्रांक एफ-4/16/08/2006/10-11/1751 दिनांक 24/07/2007

महोदय,

कृपया मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, म०प्र० के पत्र क्रमांक एफ-4/16/8/2006/10-11/विद्युत/1282 दिनांक 14/06/2006 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा, केन्द्र सरकार की ओर से नीमच जिले में 400 क०व्ही० आर०ए०पी०पी०-कांकरोली विद्युत लाईन के निर्माणार्थ 3.7628 हे० वनभूमि पावर ग्रिड कार्पोरेशन कोटा को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर वन परिक्षेत्र नीमच में कक्ष क्रमांक 194 एवं 197 में 7.525 हे० वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।
3. मार्गाधिकार पर बौनी प्रजातियों के वृक्षारोपण की योजना स्वीकृत की जाती है । इसका क्रियान्वयन उपयोगकर्ता अभिकरण के खर्च पर वन विभाग द्वारा किया जायेगा ।
- 4 अ. पारेषण लाईन का मार्ग संरेखण इस प्रकार किया जाये कि पेड़ों की कटाई कम से कम हो ।  
ब. वन क्षेत्रों के उपर खींची लाईन के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।  
स. वनभूमि पर पारेषण लाईन के लिए अधिकृत मार्ग की अधिकतम चौड़ाई 46.00 मीटर होगी ।  
द. प्रत्येक विद्युत चालक के नीचे टेंशन स्ट्रिजिंग उपकरण को ले जाने के लिए 3.0 मीटर चौड़े क्षेत्रों में कटाई की अनुमति दी जायेगी । इस प्रकार की पट्टियों पर वृक्षों की कटाई की जाती होगी, परन्तु तार लगाने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात प्राकृतिक पुर्नजनन होने दिया जायेगा । जहां बिजली से संबंधित सफाई बनाए रखना आवश्यक हो, वहां स्थानीय वनाधिकारी की अनुमति से वृक्षों की कटाई/टूट/छटाई की जायेगी । एक बाहरी पट्टी को साफ रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रख-रखाव किया जा सके ।

ई. अधिकृत मार्ग के भीतर शेष चौड़ाई में चालक और वृक्षों के बीच 5.5 मीटर की न्यूनतम सफाई रखते हुए विद्युत संबंधी खतरों के निवारण के लिए आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई अथवा छंटाई की जायेगी। न्यूनतम सफाई का हिसाब लगाते समय चालकों के अवतलन एवं विस्तार का ध्यान रखा जायेगा।

फ. पर्वतीय क्षेत्रों में पारेषण लाईन निर्माण के मामलों में, जहां पर्याप्त वृक्षहीन क्षेत्र पहले से उपलब्ध है, वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

5. परियोजना के अन्तर्गत उपाययोजनाओं/अभिकारण से प्राप्त रामरत्न निधि का कम्पा (CAMPA) के कार्पोरेशन बक, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेस-1, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003 में स्थित खाता संख्या CA 1580 में हस्तांतरित की जायेगी।

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(सन्तोष कुमार)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल नीमच, जिला-नीमच, मध्यप्रदेश।
4. मैनेजर, (निर्माण) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, सी-19, तलावण्डी, कोटा, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली

*Sany*

(सन्तोष कुमार)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

रतनो/व्यय/स्था./राजस्व/वि.प./मुद्रांकि.

*Sany*  
718107

*h*  
क.क.प.


कार्यालय वन मण्डलाधिकारी

सामान्य वन मण्डल, नीमच

पिन-458 422 (म. प्र.)

क्रमांक/भा.पि/07/4747

जी.सं. सं.सं.सं.-13-8-07



- प्रतिलिपि:- (1) उपवनमण्डलाधिकारी नीमच  
(2) वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़

श्री ओर सच्यनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अवेष्टि।

*h*  
वन मण्डलाधिकारी

सामान्य वन मण्डल, नीमच

CR 7-526  
2010